न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी निगरानी-4730/2018/ग्वालियर/भू.रा.

महेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री बी.पी. शर्मा,
आयु–लगभग 72 वर्ष, निवासी– शिन्दे की
छावनी, लश्कर, ग्वालियर ——प्रार्थी

बनाम

म.प्र. शासन –प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश पारित द्वारा अपर तहसीलदार द्वारा वृत मुरार ग्वालियर के प्र.क. 59/17–18/अ–6 (2) वउनवान महेशचन्द्र शर्मा वि. म.प्र. शासन आदेश पारित दिनांक 28/5/2018

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4730/2018/ग्वालियर/भू०रा0

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-18	आवेदक अनुपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री राजेश पाठक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुरार ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 59/अ-6(2)/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28-5-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा वसीयत अनुसार वारिसान अनावेदकगणों को तलब कराये जाने के आदेश दिये गये है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है। अध्यक्ष	